

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध-आदेश//

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....110...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 02/जुलाई/2024

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की0 धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 336/दो-1-1/2000 दिनांक 30.04.2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक-04 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-02, सरल क्रमांक-07 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-04, सरल क्रमांक-08 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-02, सरल क्रमांक-10 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-04, सरल क्रमांक-11 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-02, सरल क्रमांक-12 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-02, सरल क्रमांक-13 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-02, सरल क्रमांक-16 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-03, सरल क्रमांक-17 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र0-03 में (सिविल खण्ड) को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

02. सरल क्रमांक 01 के स्तम्भ क्रमांक 02 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 **"सिविल खण्ड"** में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 09 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 10 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

10. सिविल जिला रीवा के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (तहसील त्योंथर, मउगंज, सिरमौर एवं हनुमना के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड को छोड़कर) के न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित सिविल एवं विविध अपीलें।

03. सरल क्रमांक 10 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री प्रवीण पटेल अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 03 **"सत्र खण्ड"** में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 02 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है

04. सरल क्रमांक 21 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री दयाराम कुमरे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के स्तम्भ क्रमांक 03 **"सिविल खण्ड"** में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 07 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

05. सरल क्रमांक 22 के स्तम्भ क्रमांक 02 श्री कमलेश मीना जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के स्तम्भ क्रमांक 03 **"सिविल खण्ड"** में एवं स्तम्भ क्र0-4 की कंडिका क्रमांक 07 के पश्चात् कंडिका क्र0-08 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-

08. हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक.....3357 /
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 02/07/2024

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योथर।
3. ग्राईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/हनुमना
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)